Gp.6
2/7/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. ________________/ of 2013.

Md. Mojim & Another...Petitioner

Versus

The State of Bihar & Others...Respondents.

Sub: Other Misc. matter

<u>INDEX</u>

S.No.		Particulars	Page No.
1.		An application Under Article 226 of the Constitution of India with Affidavit.	1 to 14
2.	*Annexure: 1*	A True Photo/Typed Copy of the judgment dated 15.09.10 passed in T.S.No. 90/09.	15 to 24
3.	*Annexure:2*	A True Photo/Typed Copy of the order dated 26.07.2011 and 02.08.11 in the Land Settlement Record No. 2/11-12.	-25-
4.	*Annexure: 3*	A True Photo/Typed Copy of the order dated 07.09.11 passed in Record no. 2/11-12.	26 to 27
5.	*Annexure: 4*	A True Photo/Typed Copy of the cancellation of proposal.	-28-
6.	*Annexure: 5*	A True Photo/Typed Copy of the letter no. 3294-4 dated 05.11.12.	-29-
7.	*Annexure: 6*	A True Photo/Typed Copy of the letter no. 168-2 dated 17.01.13.	-30-
8.	*Annexure: 7*	A True Photo/Typed Copy of the information slip dated 06.05.13.	-31-
9.	*VAKALATNAMA*		

-----:O:-----

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. ________________/ of 2013.

Md. Mojim & Another...Petitioner

Versus

The State of Bihar & Others...Respondents.

SYNOPSIS

RELIEF:

i) To issue an appropriate writ, order or direction for quashing the letter no. 168-2 dated 07.01.2013 by which the respondent-Sub. Divisional Officer has not accepted the proposal of Anchal Adhikari, Chausa to cancel the record no. 02/2011-12 relating to construction of shelter place-cum-cattle shed on the land of petitioners and sent down the same record to its original for filing appeal in the competent court against the judgment of trial court.

ii) To issue direction commanding the respondents to cancel the proposal in Land Settlement Record No. 02/2011-12 dated 07.09.2011 sanctioned by the respondent-Sub. Divisional Officer for construction of shelter place-cum-cattle shed on the land, which was declared as raiyati land of petitioners and its entry in the khatiyan as "Anabad Bihar Sarkar" was declared to be illegal and void by the learned Sub. Judge, Madhepura in the judgment dated .15:9:10. passed in T.S.No. 90/09.

iii) To issue further direction to the respondents to not make any construction on the proposed land pursuant to sanction order dated 07.09.2011 passed by the respondent-Sub. Divisional Officer.

REEVANT FACTS WITH DATES

=	The grandfather of petitioners was Jamabandi raiyat of the lands of Mauza: Paina, Thana No. 107, Tauzi No. 128, Old Khata No. 656 Old Khesra No. 1577 area 95 decimals.
=	Petitioners came in possession over the aforesaid lands after death of their father.
2008	The petitioners came to know that new survey khata no. 1106 corresponding to Khata No. 656(O) and new survey Khesra No. 103 corresponding to Khesra No. 1577(O) are 1 acre 23 decimal opened as Anabad Bihar Sarkar.
2009	T.S.No. 90/09 was filed by the petitioners against State of Bihar to declare wrong entry as illegal.
15.09.10	Judgment and decree passed in favour of petitioners by the Sub. Judge holding the wrong entry illegal.(Annexure: 1)
02.08.11	Land Settlement Record No. 2/11-12 opened by the Anchal Adhikari in which the land of petitioners of new survey khata no. 1106 new Khesra No. 103 area 23 decimals has been proposed for construction of cattle shed (Annexure: 2)
07.09.11	The Sub. Divisional Officer sanctioned the proposal on the lands so proposed for construction of cattle

	shed.(Annexure: 3)
2012	The petitioners filed petition for mutation of the lands by annexing judgment.
24.09.12	In view of judgment the Anchal Adhikari sent proposal to L.R.D.C. for cancellation of record no. 7/11-12. (Annexure: 4)
05.11.12	The D.C.L.R. sent letter to send the proposal on record itself.
10.12.12	The Anchal Adhikari sent the record no. 2/11-12 before Sub. Divisional Officer with recommendation to cancel the sanctioned proposal of construction of cattle shed on the lands of petitioners.
17.01.13	The Sub. Divisional Officer not accepted the proposal and kept the file pending and direct ed to file appeal against the judgment.
06.05.13	As per information sought for no appeal filed.
	Since the action of respondent is illegal, amounting to violation of Article 300A of Constitution of India, hence this writ petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No.________________/ of 2013.

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India

AND

In the matter of:

1. *Md. Mojim*, Son of Late Md. Vasir Miya

2. *Md. Razzaque*, Son of Md. Mangan Miya,

Both residents of Village: Paina Tola: Chanda, P.S: Chausa, District: Madhepura.

....................*Petitioner*.

Versus

1. The State of Bihar

2. The District Magistrate, Madhepura.

3. The Sub. Divisional Officer, Udakishanganj, Madhepura.

4. The Deputy Collector, Land Reforms, Udakishanganj, District: Madhepura.

5. The Anchal Adhikari, Chausa, District: Madhepura.

...............*Respondents*.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH :

1. That through this writ application, the petitioners seek the following reliefs:_

   i) To issue an appropriate writ, order or direction for quashing the letter no. 168-2 dated 07.01.2013 by which the respondent-Sub. Divisional Officer has not accepted the proposal of Anchal Adhikari, Chausa to cancel the record no. 02/2011-12 relating to construction of shelter place-cum-cattle shed on the land of petitioners and sent

down the same record to its original for filing appeal in the competent court against the judgment of trial court.

ii) To issue direction commanding the respondents to cancel the proposal in Land Settlement Record No. 02/2011-12 dated 07.09.2011 sanctioned by the respondent-Sub. Divisional Officer for construction of shelter place-cum-cattle shed on the land, which was declared as raiyati land of petitioners and its entry in the khatiyan as "Anabad Bihar Sarkar" was declared to be illegal and void by the learned Sub. Judge, Madhepura in the judgment dated 15.9.10. passed in T.S.No. 90/09.

iii) To issue further direction to the respondents to not make any construction on the proposed land pursuant to sanction order dated 07.09.2011 passed by the respondent-Sub. Divisional Officer.

iv) To award any other relief/relief to which the petitioners may be entitled in the facts and circumstances of the case.

2. That the question to be decided by this Hon'ble Court as to whether the action of respondents not cancelling the proposal for construction of shelter place cum-cattle shed on the land in spite of knowing that the title over the said land was decided by the competent court in favour of petitioners is illegal, arbitrary, without jurisdiction and amounting to violation of Article 300A of the Constitution of India?

3. That the petitioners are citizen of India and reside within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That the facts giving rise to the instant case are that one Gokul Nadaf, the grand father of petitioners took settlement of 95 decimal of lands of Mauza: Paina, Thana No. 107, Tauzi No. 1728 old Survey Khata No. 656, Old Khesra No. 1577 from Ex-landlord and paying rent to him for that and subsequently the Ex-landlord also filed return in his name.

5. That after abolition of Jamindari, the sons of Gokul Nadaf namely Feku Nadaf and Tikuli Nadaf came in possession over the aforesaid land of old Khata No. 656, Old Khesra No. 1577

area 95 decimal and also Jamabandi No. 35 was opened in their names in the sherista of Bihar Sarkar.

6. That further Feku Nadaf died leaving behind four sons who all died without having any issue, whereas Tikuli Nadaf, the second son of Gokul Nadaf died leaving behind two sons namely Mangan Miya and Vasir Miya. It is stated that present petitioner no. 1 is son of Mangan Miya whereas petitioner no.2 is son of Vasir Miya. Petitioner no. 2 is son of Vasir Miya, and they being the heirs and survivors of Gokul Nadaf are in possession over the land in question.

7. That it is stated that though the ancestors of petitioners were Jamabandi raiyat of the lands of Old Khata No. 656 old Khesra No. 1577 however they came to know in the year 2008 from Revenue Karamchari of the Block that during recent survey new survey Khata no. 1106 , corresponding to old Khata No. 656 and new survey khesra no. 103 corresponding to old khesra no.1577 of the lands area 1 acre 23 decimal of Mauza: Paina, Tola chanda, Thana no. 127 Tauzi no. 428 had been opened in the name of Anabad Bihar Sarkar and accordingly the khatiyan of the aforesaid lands had also been

prepared in the name of State of Bihar by mentioning the names of their ancestors as Avaidh Dalshalka.

8. That after coming to know about wrong entry of the lands of petitioners in the name of State of Bihar in Khatiyan, the petitioners firstly served notice u/s 80 C.P.C. to the respondents and thereafter filed T.S.No. 90/09 in the court of learned Sub. Judge, Madhepura against the State of Bihar for declaration of title and possession and also to declare the recent survey entry of the suit land in the name of State of Bihar as illegal and void.

9. That in the aforesaid suit, so filed, summons issued to State of Bihar and whose behalf G.P. appeared and filed written statement denying the claim of petitioners over the suit land and thereafter the learned Sub. Judge, Madhepura after hearing the parties, decreed the suit in favour of petitioners by the judgment and decree dated 15.09.10.

A True Photo/Typed Copy of the judgment dated 15.09.10 passed in T.S.No. 90/09 is being

annexed herewith and marked as **Annexure: 1** to this writ application.

10. That in the meantime, a proposal for construction of shelter cum-cattle shed has come in Chausa Block and therefore, for settlement of land for the said purposes, the Circle Officer, Chausa opened Land Settlement Record No. 2/11-12 and further directed the Revenue Karamchari and Anchal Amin by the order dated 26.07.2011 on file to send proposal of the lands with map to the undersigned within a week for construction of cattle shed.

11. That thereafter the Revenue Karamchari proposed the lands of petitioners of Mauza Paina, Thana No. 107, Khata No. 1102, Khesra No. 103, area 1 acre 23 decimal as being the lands recorded in khatiyan as Anabad Bihar Sarkar for construction of shelter cum-cattle shed and further the Circle Officer sent the record to Deputy Collector, Land Reforms for required action.

A True Photo/Typed Copy of the order dated 26.07.2011 and 02.08.11 in the Land Settlement Record No. 2/11-12 is being annexed herewith and marked as **Annexure: 2** to this writ application.

12. That thereupon by the order dated 07.09.11 passed in the Record No. 2/11-12 the respondent-Deputy Collector and Sub. Divisional Officer by their joint signatures sanctioned the proposal so sent for construction of shelter place cum-cattle shed, over the lands of petitioners as being recorded as Anabad Bihar Sarkar in Khatiyan.

A True Photo/Typed Copy of the order dated 07.09.11 passed in Record no. 2/11-12 is being annexed herewith and marked as **Annexure: 3** to this writ application.

13. That it is pertinent to state here that the petitioners had absolutely no knowledge about the aforesaid development and came to know about it only in 2012 when they filed petition before Anchal Adhikari for mutation of the lands in question in their favour in view of the judgments and decree passed in T.S. No. 90/09.

14. That after coming to know, the Anchal Authorities in the petition of petitioner itself recommended for cancellation of the sanctioned proposal of the construction of cattle shed on the lands, in view of judgment of the competent court in favour of petitioners and thereafter the Anchal Adhikari sent the same proposal to the respondent-Deputy Collector Land Reforms for required solution to cancel the proposal.

A True Photo/Typed Copy of the cancellation of proposal is being annexed herewith and marked as **Annexure: 4** to this writ application.

15. That thereafter the Land Reforms Deputy Collector vide letter no. 3294-4 dated 05.11.12 directed the Anchal Adhikari to send proposal on the record no. 2/11-12 for required action and accordingly said record was sent done.

A True Photo/Typed Copy of the letter no. 3294-4 dated 05.11.12 is being annexed herewith and marked as **Annexure: 5** to this writ application.

16. That pursuant to aforesaid direction, the Anchal Adhikari vide letter no. 1401 dated 10.12.12 sent the Record No. 02/11-12 relating to construction of shelter place cum-cattle shed before the Sub. Division Officer, Udakishanganj for cancelling the same sanctioned proposal.

17. That further in reference of letter no. 401 dated 10.12.12 the Sub. Divisional Officer, Udakishanganj vide letter no. 168-2 dated 17.01.13 has not accepted the proposal of Anchal Adhikari to cancel the record no. 2/11-12 relating to construction of shelter place-cum-cattle shed on the land of

petitioners and sent down the same with direction for filing appeal before the competent court against the judgment of trial court.

A True Photo/Typed Copy of the letter no. 168-2 dated 17.01.13 is being annexed herewith and marked as **Annexure: 6** to this writ application.

18. That as would be evident from the information sought for by the petitioners, no appeal has been filed by the State of Bihar against the judgment and decree dated15.09.10 passed in T.S.No. 90/09.

A True Photo/Typed Copy of the information slip dated 06.05.13 is being annexed herewith and marked as **Annexure: 7** to this writ application.

19. That thus it is quite evident that the respondent-Sub. Divisional Officer illegally and arbitrarily not accepted the

recommendation of Anchal Adhikari to cancel the record no. 2/11-12 relating to construction of shelter place-cum-cattle shed on the lands of petitioners and kept it pending as the judgment and decree in favour of petitioner have already attained its finality.

20. That it is submitted that the right to property is a constitutional right and no person can be deprived of his property save by the authority of la but in the instance case, the respondent authorities have directly violated the constitutional provision under Article 300A of the Constitution of India.

21. That thus in the aforesaid facts and circumstances of the case, the interference of this Hon'ble Court is extremely warranted to get the reliefs as prayed for in this writ application.

22. That the petitioners are poor persons having no other lands for agriculture purposes.

23. That the petitioners have no any alternative and efficacious remedy than to move this Hon'ble Court.

24. That the petitioners have not moved earlier before this Hon'ble Court for the reliefs as prayed for in this writ petition.

It is, therefore, prayed that Your Lordship may kindly be pleased to admit this application, issue notice to the respondents and after hearing the parties be further pleased to allow the reliefs as prayed for in paragraph 1 of this writ application.

AND

It is further prayed that during pendency of this writ application, the respondents may be restrain from making any construction on the proposed land pursuant to sanction order dated 07.09.2011

AND/OR

Pass such other order or orders as Your Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, *Md. Nausad Ali*, aged about 24 years, Son of Late Md. Razzak Miya, resident of Saur Bazar, P.S: Saur Bazar, District: Saharsa, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am ~~the~~ sonok petitioner no. 2 in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over to me which I have understood the same. The statements made in paragraph nos. 3, 4, 5, 6, 8, 13, 22, 23 are true to my knowledge and those made in paragraph nos. 7, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 17, 18 are correct to my information derived from the records of the case, which I believe to be true, and rest are by way of submissions before this Hon'ble Court.
3. That the annexures are true/photo copies of their respective originals.

[signature]

1860 / 18.9.10 30.9.10 01-10-10 04-10-10

Annexure-1

(15) 2 / 4.10.10

जिला :- मधेपुरा
=============

समक्ष न्यायालय :- सब जज - प्रथम
मधेपुरा ।

उपस्थित :- वेद प्रकाश सिंह
सब जज - 1,
मधेपुरा ।

10500

टी.एस.नं.- 90/09

दिनांक :- 15-09-2010

मो0 रज्जाक वगैरह अन्य .... वादीगण ।

बनाम्

बिहार सरकार .... प्रतिवादी ।

वादीगण की ओर से :- श्री जावेद इकराम , अधिवक्ता ।
प्रतिवादी की ओर से :- श्री क्यू.ए. कलाम , अधिवक्ता ।

निर्णय
=====

1- प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वाद-पत्र के अंत में अनुसूची -1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व की घोषणा हेतु तथा हाल सर्वे खतियान में प्रतिवादी के नाम की प्रविष्टि को गलत घोषित कर वादीगण के विरुद्ध बाध्यकारी न होने हेतु लाया गया है साथ ही अन्य न्यायोचित अनुतोषों की भी मांग की गयी है।

01-10-10

2- वादीगण द्वारा दिनांक- 7-5-09 को वाद-पत्र के माध्यम से अभिकथित किया गया है कि मौजा पैना परगना नाई टोला-चंदा थाना नं.-107, तौजी नं.-428 में पुराना सर्वे खाता सं.-656, पु.खेसरा 1577 रकबा 01एकड़ 62डिस0 जमीन गैर मजरूआ मुस्ताजीर दर्ज था । वादीगण का यह कथन है कि पैना टोला चंदा के गोकुल नदाफ, पिता [illegible] नदाफ उपरोक्त जमीन के 95 डिस. पर भूतपूर्व जमींदार से बंदोबस्त लेकर जोत आबाद कर फसल उपजाने लगे वह जमींदार को मालगुजारी अदा करने लगे । गोकुल नदाफ के मरने के उपरांत उनके लड़के [illegible] नदाफ, व [illegible] नदाफ, मालगुजारी अदा कर रसीद हासिल

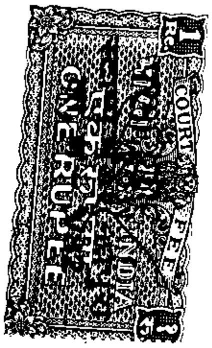

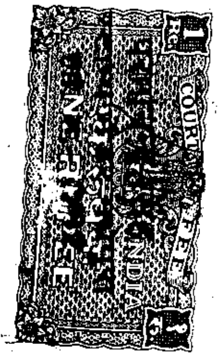

करते आये उक्त मौजा के जमींदार बाबू ठाकुर दास गुप्त ड्योढ़ी लाल कोठी, भागलपुर ने विवादी एराजी के निस्वत शेष रिजोल्यूशन रिटर्न गोकुल नदाफ के नाम दाखिल किया । टिकुली नदाफ के दो लड़का मांगन नदाफ व बसीर नदाफ थे वादी सं.-1 मांगन मियां तथा वादी सं.-2 बसीर मियां का लड़का है। पैकू नदाफ अपने चार लड़के कारू, सदीक, सफीद और कार्तिक को छोड़कर मरे जिसमें से सदीक, सफीद और कार्तिक xxxxxxxxx निःसंतान मर गये व कारू मियां भी निःसंतान पत्नी मदीना खातून को छोड़कर मरे । पुराना खाता सं.-656 पुराना खेसरा सं.-1577 रकबा 95 डिस0 का जमाबंदी सं.-35 जमींदार उन्मूलन के पश्चात पैकू नदाफ, टिकुली नदाफ के नाम कायम हुआ तथा वे साबित हकदार व दखलकार चले आते रहे साबित जमींदार द्वारा बिहार सरकार को जमींदारी रिटर्न xxxx दाखिल नहीं किया गया, जिसका पता वादीगण ने इनफारमेशन स्लीप द्वारा प्राप्त किया। x पुराना खाता सं.-656 का हाल सर्वे खाता 1102 व पुराना खेसरा सं.-1577 नया खेसरा- 103 रकबा एक एकड़ 23 डिस0 अनावाद बिहार सरकार अवैध दखल टिकुली धुनिया पिता गोकुल 01 अंश व कारू, सदीक,सफीद, कार्तिक पिता पैकू एक अंश बना है। रजिस्टर-2 भी पैकू नदाफ व टिकुली नदाफ के नाम से है जब अप्रैल 2008 में वादी मो0 रज्जाक ने कर्मचारी के समक्ष मालगुजारी रसीद कटाने गया तो मालुम हुआ कि हाल सर्वे खतियान बिहार सरकार के नाम बन गया है तथा हाल सर्वे खतियान की नकल प्राप्त कर अमीन से नापी कराने पर ज्ञात हुआ कि हाल सर्वे नक्शा नापी में रकबा 95 डिस0 अर्थात एक बिगहा । कट्ठा 5 धुर है तथा सरजमीन पर भी वही रकबा है लिपिकीय भूल से हाल सर्वे खतियान में हाल सर्वे खतियान में एक एकड़ 23 डिसमल दर्ज हो गया है। वादी का यह भी कथन है कि अंचलाधिकारी चौसा से हाल सर्वे खतियान के सुधार व मालगुजारी लेने की मांग को टाल-मटोल किया जाता रहा। अंततः 20-1-2009 को राजस्व कर्मचारी के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया । हाल सर्वे खतियान बिहार सरकार के नाम दर्ज होने से वादीगण के xxxx स्वत्व पर बादल सा छा गया जबकि विवादी जमीन पर वादीगण दखल कब्जा है। मदीना खातून द्वारा अपने हिस्से की 16 डिस0 जमीन पुराना खाता -656 पुराना खेसरा 1577 के नया खाता 1102 व नया खेसरा 103 की जमीन को उचित प्रतिफल लेकर दिनांक- 21-5-02 को वादी सं.-1 के पक्ष में केवाला कर दिया गया किन्तु कातिब की गलती से खाता सं.-656 की जगह 456 व पुराना खेसरा 1578 दर्ज हो गया । इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त जमीन पर वादीगण का

दखल व कब्जा बरकरार है। प्रतिवादी पर वकालतन नोटिश भेजने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी । वाद हेतुक माह अप्रैल 2008 में उत्पन्न हुआ जब रसीद कटाने हेतु जाने पर पता चला की हाल सर्वे खतियान बिहार सरकार के नाम बना है व दिनांक- 20-1-2009 को उत्पन्न हुआ जब अंचलाधिकारी घोसी को हाल सर्वे खतियान सुधारने का अनुरोध किया गया व दिनांक- 30-1-09 को उत्पन्न हुआ जब वकालतन नोटिश भेजे गये व 22 अप्रैल 2009 को भी उत्पन्न हुआ जब अंचलाधिकारी द्वारा हाल सर्वे खतियान में सुधार/ नहीं किया गया। वाद का मूल्यांकन 65हजार रुपया करार कर घोषणात्मक न्यायशुल्क 250रूपया अदा किया गया है।

3- प्रतिवादी पर सम्मन का तामिला होने के उपरांत दिनांक- 16-4-2010 को लिखित कथन के माध्यम से अभिवचनित किया गया कि वाद संहरणीय नहीं है तथा वाद काल बाधित है एवं पक्षकारों का असंयोजन से ग्रसित है। वादीगण का यह कथन गलत है कि मौजा पैना चंदा टोला के गोकुल नदाफ भूतपूर्व जमींदार से जमीन बंदोबस्ती लिया था भूतपूर्व जमींदार द्वारा शेष रिटर्न रिटर्न गोकुल नदाफ के नाम दखल करने व गोकुल नदाफ के वंशावली के संबंध में साबित करने का भार वादीगण पर है। जिसमें नापी की बात पुर्णतया गलत है । वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है वह वादग्रस्त जमीन प्रतिवादी बिहार सरकार की है क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व जमींदार ने विवादी जमीन का रिटर्न वादीगण अथवा उनके पूर्वजों के नाम दाखिल नहीं किया और न ही सर्वे खतियान वादीगण के पक्ष में बिना तथा वादीगण का निरन्तर कब्जा भी वादग्रस्त जमीन पर नहीं है।

4- उभय पक्ष के अभिवचन के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक निर्धारित किया गया है।-

(I) क्या वाद संहरणीय है?

(II) क्या वादी को वाद दायर करने का वाद हेतुक प्राप्त है?

(III) क्या वाद अधित्याग,उपमति व विबंधन के सिद्धान्तों से बाधित है?

(IV) क्या वाद कालबाधित है?

(V) क्या वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व व कब्जा प्राप्त है?

COURT FEE INDIA ONE RUPEE

COURT FEE INDIA ONE RUPEE

COURT FEE INDIA ONE RUPEE

१।/।१ क्या रिभिजनल सर्वे खतियान में प्रतिवादी बिहार सरकार के नाम की प्रविष्ट वैध सही तथा वादीगण पर बाध्यकारी है?

१।/।।१ क्या वादीगण किसी अनुतोषों अनुतोष या अनुतोषों को प्राप्त करने के अधिकारी है?

5- वादीगण की ओर से अपने दावेत्र के समर्थन में कुल नौ साक्षियों क्रमशः मो0 हफीज, शेख रउफ, मो0 इसलामउद्दीन खाँ, हड़ी लाल राय, मो0 मजलीम हुसैन, श्री ललितेश्वर सिंह, मो0 रज्जाक१वादी१, छोटे लाल यादव, एवं गणेश पंडित का परीक्षण कराया गया है। जिसमें से साक्षी सं.-1,4,5,व 8 औपचारिक साक्षी है व साक्षी सं.-9 अमीन है जबकि शेष साक्षी तात्विक साक्षी है। दस्तावेजी साक्षियों के रूप में प्रर्दश-। अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. वकालतन नोटिश से 1/ए पोस्टल रसीद है। प्रर्दश-2 एवं 2/ए इनफरमेशन स्लीप है। प्रर्दश-3,3/ए,3/बी, 3/सी,3/डी,3/ई, 3/एफ,3/जी,3/एच, वाद-पत्र पर अधिवक्ता जावेद इकराम के लघु हस्ताक्षर एवं पूर्ण हस्ताक्षर है। प्रर्दश-4 मदीना खातुन द्वारा वादी सं.-1के पक्ष में किया गया केवाला, प्रर्दश-5 अमीन प्रतिवेदन तथा प्रर्दश-5/ए ट्रेस नक्शा है। प्रर्दश-6 खाता-656 का खतियान है जबकि प्रर्दश-6/ए भी खाता 1102 का खतियान है। प्रर्दश-7 शेष रिभोलुशन रिटर्न की अभिप्रमाणित प्रति है। प्रर्दश-8 रजिस्टर-2 की अभिप्रमाणित प्रति है। प्रर्दश-9 मालगुजारी रसीद व प्रर्दश-10/ए,10/बी,व 10/सी जमींदारी रसीद है।

6- प्रतिवादी की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मंतव्य
====

7- सर्वप्रथम विवाद्यक सं.-5 का विनिश्चयन किया जाता है कि क्या वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व व कब्जा प्राप्त है अथवा नहीं। इस संबंध में स्वयं वादी ने वाद-पत्र की कंडिका-2 में अभिवचनित किया है कि मौजा पैना टोला संदा के गोकुल नदाफ पिताभुड़ी नदाफ मौजा पैना थाना किशनगंज के तौजी नं.-428 पुराना सर्वे खाता 656 पुराना सर्वे खतियान 1577 की 95 डिस0 जमीन को भूतपूर्व जमींदार से बन्दोबस्ती लिये थे जिसका उन्होंने वादी साक्षी सं.-7 के रूप में शपथ-पत्र की कंडिका-3 में समर्थन किया है और साथ

ही प्रदर्श-10, 10ए, 10/बी व 10 सी द्वारा यह साबित किया गया है कि इस्टेट बाबू ठाकुर दास गुप्त डेवढ़ी लाल कोठी भागलपुर द्वारा राजस्व प्राप्त कर मालगुजारी रसीद प्रदान की गयी है जिसकी जमाबंदी सं.-46 रही वादीगण द्वारा प्रदर्श-8 रजिस्टर-2 की अभिप्रमाणित प्रति के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि, पेकू नदाफ व टिकुलीनदाफ पिता गोकुल नदाफ के नाम खाता सं.-656 खेसरा सं.-1577 के एक बिग्हा एक कट्ठा 05 धुर जमीन पर जमाबंदी कायम हुआ। साथ ही प्रदर्श-7 से भी यह स्पष्ट होता है कि शेष प्रिबु रिभोलूशन रिटर्न भी गोकुल नदाफ के नाम कायम हुआ। वादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया कि गोकुल नदाफ के ~~बेटा~~ पुत्र में टिकुली नदाफ व पेकू नदाफ थे और टिकू नदाफ के दो लड़के मांगन नदाफ व बसीर नदाफ थे और मांगन के लड़के वादी सं.-1 बसीर के लड़के वादी सं.-2 है। जबकि पेकू नदाफ के चारो लड़के काल, सदीक, सदीफ और कातिक सभी की निःसंतान मौत हो चुकी है व एक मात्र कारू मियां की पत्नी मकीना खातुन द्वारा अपने हिस्से की 16 डिस0 जमीन वादी सं.-1 के पक्ष में बिक्री की जा चुकी है जिस संबंध में वादी संख्या-7 ने शपथ-पत्र की कंडि.का-9 में समर्थन किया है साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कातिक की गलती से पुराना खाता सं.-656 की जगह 456 व पुराना खेसरा सं.-1577 और 1578 दर्ज हो गया है उनके इस स्पष्टीकरण के विरुद्ध कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रदर्श-2 इनफारमेशन स्लीप द्वारा यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि नया खाता सं.-1102 नया खेसरा सं.-103 का पुराना खाता-656 व पुराना खेसरा -1577 मुताबिक तसदीकी खतियान दर्ज है। वह प्रदर्श-2/ए से यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि मौजा पैन्ना थाना किशनगंज थाना नं.-107 का गेस्टिंग रिटर्न सन 1955-56 जमींदार श्री अमानत सरकार के जिला अभिलेखागार में जमा नहीं है जिस आधार पर प्रदर्श-10 व 10/ए, 10/बी, 10/सी, को प्रमाणित किया गया जिसका विश्लेषण पूर्व में किया जा चुका है। इस प्रकार वादी साक्षी सं.-7 ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने का प्रयास किया है कि विवादग्रस्त एराजी भूतपूर्व जमींदार इस्टेट बाबू ठाकुर दास गुप्त डेवढ़ी लाल कोठी भागलपुर की थी जिन्होंने वादीगण के पूर्वज गोकुल नदाफ के नाम जमीन बन्दोबस्त किया था। जिसका शेष रिभोलेशन रिटर्न भी वादीगण के पूर्वजों द्वारा दाखिल किया गया व रिटर्न जमाबंदी सं.-2 से भी यह साबित होता है कि वह विवादी एराजी वादीगण के पूर्वज के नाम से दर्ज हुई थी। प्रदर्श-6 द्वारा यह साबित किया

गया है कि खाता सं.-656 खेसरा सं.-1577 की एक एकड़ 62 डिस0 जमीन परती कदिम गलत दर्ज है क्योंकि प्रदर्श-6/ए में कैफियत कालम में वादीगण के पूर्वजों का नाम कब्जाधारी के रूप में दर्ज है वह जहाँ तक प्रदर्श-6/ए में रकबा एक एकड़ 23 डिसमल का प्रश्न है, इस संबंध में वादी साक्षी सं.-9 वह प्रदर्श-5 व 5/ए से यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि पुराना खेसरा 1577 से ही नया खेसरा -103 बना है जिसका सरजमीन पर क्षेत्रफल मात्र 95डिस0 अर्थात एक बिगहा एक कट्ठा 5 धुर है। वह एक एकड़ 23 डिस0 सरजमीन पर कभी भी नहीं रहा है उक्त साक्षी गणेश पंडित अमीन है जिनसके योग्यता को प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकी है फलस्वरूप वादीगण का यह कथन भी साबित होता है कि 95 डिस0 जमीन वस्तुतः पुराना खेसरा 1577 का ही भाग है। वादी साक्षी सं.-2,3 व 6 ने भी वादी के कथन का पूर्णतः समर्थन कर कहा है कि विवादी जमीन वादीगण की खतियानी जमीन है जिससे प्रतिवादी बिहार सरकार को कोई सरोकार नहीं है तथा उनके कथनों की विश्वसनीयता को प्रतिवादी खण्डित नहीं कर पाया है। प्रतिवादी ऐसा कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे यह साबित हो सके कि वादी का दावा गलत है चुकि मामला बिहार सरकार के विरूद्ध है इसलिए वादी द्वारा धारा 80सी.पी.सी. की औपचारिकताओं को भी पूरा किया गया है जिसका समर्थन वाद सं.-1 तथा प्रदर्श-1 व 1/ए से होता है एवं इस संबंध में भी प्रतिवादी उनकी विश्वसनीयता को खण्डित नहीं कर पाया है कि वकालतन नोटिश बिहार सरकार के जिला प्रतिनिधि जिला पदाधिकारी मधेपुरा को नहीं भेजा गया है ऐसी स्थिति में मात्र सर्वे खतियान की गलत प्रविष्ट के आधार पर ही बिहार सरकार का स्वत्व व कब्जा नहीं माना जा सकता है। क्योंकि वादीगण की ओर से न केवल विवादी एराजी पर पूर्वज गोकुल नदाफ के समय से व जमींदार उन्मूलन के पूर्व में स्वत्व व कब्जा को प्रमाणित किया गया है वरन वादीगण के अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि का अन्य कोई दाखिल कब्जा नहीं रहने का भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया । इतना ही नहीं वरन अमीन के जाँच प्रतिवेदन व नक्शे से यह भी साबित किया गया कि वादी एराजी वस्तुतः एक एकड़ 23 डिस0 नहीं हो करके 95डिस0 की है जिस पर वादीगण का ही दखल कब्जा है अतः उक्त विवाद्यक वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

8- जहाँ तक विवाद्यक सं.-6 के विनिश्चयन का प्रश्न है विवाद्यक सं.-5 के विनिश्चयन से यह साबित हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में एक

(21)

एकड़ 23 डिस0 नहीं होकर नापी में मात्र 95 डिस0 अर्थात एक बिग्हा 01कट्ठा 05 धुर ही है जिस संबंध में वादी साक्षी सं.-9 गणेश कहित ने प्रदर्श-5 व 5ए के माध्यम से पूर्णतया स्पष्ट किया है कि पुराना खेसरा 1577 से ही नया खेसरा 103 बना है जो सरजमीन पर नाप में वह नक्शे के भी नापने से मात्र 95 डिस0 ठहरता है जिसके समर्थन में नक्शा व अमीन प्रतिवेदन भी उपलब्ध है। वादीगण द्वारा पूर्व में यह साबित किया जा चुका है कि पैना टोला बंदा के गोकुल नदाफ के नाम से 95 डिस0 जमीन भूतपूर्व जमींदार द्वारा बंदोबस्त की गयी थी एवं गोकुल नदाफ के दो लड़के पैंकू नदाफ व टिकुली नदाफ मालगुजारी अदा कर रसीद हासिल करते थे एवं भूतपूर्व जमींदार द्वारा वादग्रस्त शराजी के संबंध में रिर्टन रिर्टन भी गोकुल नदाफ के पक्ष में दाखिल दाखिल किया था वादीगण टिकुली नदाफ के मांगन नदाफ व बसीर नदाफ के पुत्रगण वादीगण सं.-1 व 2 के रूप में है जबकि पैंकू नदाफ के चारो पुत्रों के निःसंतान मर जाने व उनके चार पुत्रों में से एक कारू मियाँ की पत्नी मदीना खातुन द्वारा 16 डिस0 जमीन वादी सं.-1 के पक्ष में बिक्री कर दिये जाने से सम्पूर्ण वादग्रस्त जमीन पर वादीगण का स्वत्व व कब्जा दखल है। प्रदर्श-6 में खाता नं.-656 के खेसरा सं.-1577 की एक एकड़ 62 डिस0 जमीन परती कदीम के रूप में दर्ज है जबकि प्रदर्श-6/ए से स्पष्ट है कि खाता सं.-1102 के खेसरा सं.-103 एक एकड़ 23 डिस0 जमीन पर अनाबाद बिहार सरकार का नाम दर्ज है किन्तु कैफियत कालम में वादीगण के पूर्वजों का नाम सन 1960 से ही दर्ज दिखाया गया है चुकि उक्त जमीन पर वादीगण का स्वत्व व कब्जा साबित हो चुका है ऐसी स्थिति में नये सर्वे खतियान के अनाबाद बिहार सरकार के नाम की प्रविष्ट 95 डिस0 जमीन पर अवैध व गलत है ऐसी स्थिति में जबकि उक्त गलत प्रविष्ट को सुधारने हेतु वादीगण द्वारा प्रदर्श-1 द्वारा अन्तर्गत धारा 80सी.पी.सी. प्रतिवादी को नोटिस भी जारी किया गया था किन्तु सक्षम पदाधिकारी (प्रतिवादी) द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी । ऐसी स्थिति में खतियान की गलत प्रविष्ट को वादीगण सुधार करवाने के पूर्णतया अधिकारी है अतः विवादयक सं.-6 भी वादीगण के पक्ष में निर्णत किया जाता है।

9- जहाँ तक विवाद्यक सं.-3 व 4 का प्रश्न है उभय पक्षों द्वारा उस पर कोई बल नहीं दिया गया है। फलस्वरूप उस पर पृथक विनिश्चयन आवश्यक नहीं है।

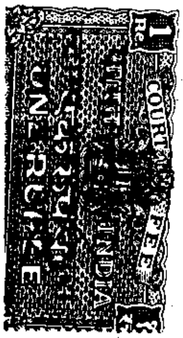

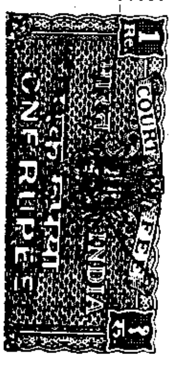

10- जहाँ तक विवाद्यक सं.-2 का प्रश्न है वादग्रस्त भूमि

18.9.09. 30.9.09. 01-10-10. 04.10.10. (22)

वादीगण के स्वत्व व कब्जे की है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के नाम की प्रविष्ट निश्चित रूप से वादीगण के स्वत्व व कब्जे पर एक बादल मँडराने का कारण बना हुआ है जिस कारण वाद-पत्र की कंडिका-17 में वर्णित वाद हेतुक निश्चित रूप से वादी के पक्ष में क्योंकि अंचलाधिकारी चौसा द्वारा 20-1-2009 को सर्वे खतियान में सुधार नहीं ~~xxxx~~ किया जाना व 30-1-09 का विचारण नोटिस प्रतिवादी को दिये जाने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं किये जाने व अंतिम बार 22 अप्रैल 2009 को भी अंचलाधिकारी द्वारा सर्वे खतियान में सुधार नहीं किया जाना वादी को वर्तमान वाद लाने का वाद हेतुक को उत्पन्न करता है। फलस्वरूप उक्त विवाद्यक भी वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

11- जहाँ तक विवाद्यक सं.-1 का विनिश्चयन का प्रश्न है वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व व कब्जा मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित हो चुका है व धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से वादीगण को वाद हेतुक भी प्राप्त हो चुका है फलस्वरूप वर्तमान वाद विधितः संधारणीय है।

12- जहाँ तक विवाद्यक सं.-7 का प्रश्न है वादीगण ~~xxx~~ वाद ग्रस्त भूमि पर स्वत्व व कब्जे को प्रमाणित कर चुके हैं तथा सर्वे खतियान की प्रविष्ट को गलत साबित कर चुके हैं फलस्वरूप वादीगण वांछित अनुतोषों को प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः-

आदेश

13- वाद सखर्चा, सव्यय अनुज्ञाप्ति किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व घोषित करते हुए वाद पत्र के अनुसूची- I में वर्णित वाद ग्रस्त भूमि के एक एकड़ 23 डिसमिल जमीन (सरजमीन पर मात्र 95डिस.) पर प्रतिवादी के नाम की प्रविष्ट को अवैध व गलत घोषित किया जाता है।

लिखाने एवं टंकित एवं संशोधित के बाद
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

वेद प्रकाश सिंह 15-09-2010
सब जज - प्रथम
मधेपुरा ।

वेद प्रकाश सिंह 15-09-2010
सब जज - प्रथम
मधेपुरा ।

COMPARED BY
04.10.10.
Comparing Clerk

Certified to be a true Copy
4.10.11

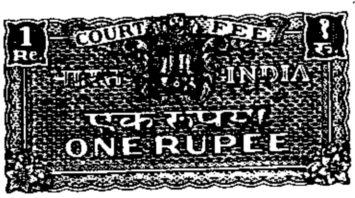

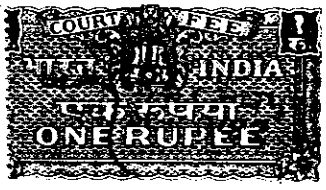

7860 / 18.9.09 30.9.09 01-10-10. 04.10.10.

न्या० : सबजज प्रथम, मधेपुरा
T.S. No. 90/09
मो० रज्जाक वगै० बनाम बिहार सरकार

23

Schedule XLII—High Court (J) 17 [old C. P. 20]

90.00
04.10.10.

DECREE IN ORIGINAL SUIT

Order XX, Rules 6 and 7, Code of Civil Procedure

District MADHEPURA

In the Court of Civil Judge (Sr. Divn.)-I at Madhepura

Title Suit No. 90 of 2009

1. Md. Razzoque S/o Late Maangan Mian
2. Md. Mozim S/o Late Wasir Mian
Both R/o - Mouza Paina tola Chanda P.S. Chousa, Distt. - Madhepura — — Plaintiffs

versus

1. State of BIHAR through COLLECTOR, Madhepura
P.S. & District - Madhepura

— — — — Defendant

Note—The addresses given above are the addresses for service filed by the parties under rules 19 and 22 of Order VII, or under rules 11 and 12 of Order VIII, of the first Schedule to the Code of Civil procedure, with the exception of

who did not appear or omitted to file their addresses

Shailesh Chauhan
Office Clerk 23.9.2010
~~Moharrir~~

Claim for—(क) अदालत से यह तजवीज किया जाय तो करार दिया जाय कि मुद्दैयान को स्वाजी सयमुदाताह पर कामिल हकीयत हासिल है।
(ख) तजवीज सादर अदालत से यह भी करार दिया जाय कि हाल सर्वे खतियान बाबत स्वाजी सयमुदाताह वासिदुल नं० 1 बनाम अनाबाद बिहार सरकार गलत है, जिसकी कोई पाबंदी मुद्दैयान को नहीं है।
(ग) दीगर मदद जो अदालत से मुनासिब समझा जाय, मुद्दैयान को दिलवा दिया जाय।

सिडुल नं० 1

स्वाजी सयमुदाताह वाके मौजा पैना प्रगना हर्ई टोला चंदा थाना उदाकिशुनगंज हाल थाना चौसा, जिला मधेपुरा थाना नं०-107

खाता कु०	खाता नं०	खेसरा कु०	खेसरा नं०	रकबा ए० डी०
656	1102	1577	103	1.23

COURT FEE INDIA ONE RUPEE
COURT FEE INDIA ONE RUPEE

18.09.10 30.9.10. 01.10.10. 04.10.10.

(24)

Schedule XLII—High Court (J) 17 [Old C. P. 20]

This suit counting on this 15-09-2010 for final disposal before Ved Prakash Singh; Civil Judge (Senior Division) I, Madhepura day in the presence of

Sri Javed Ekram, Advocate, for the plaintiff

and of Sri G. K. Kalam, Advocate for the defendant

it is ordered and decreed that वाद [illegible] स्वीकृत किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि पर वादिया का स्वत्व घोषित करते हुये वाद पत्र की अनुसूची-1 में वर्णित वाद ग्रस्त भूमि के [illegible] 23 डि. [illegible] ([illegible] पर मात्र 9.5 डि.) पर प्रतिवादी के नाम की प्रविष्टि को अवैध व गलत घोषित किया जाता है।

and that the sum of Rs. 400.00 (four hundred) only

as paid by the defendant

to the Plaintiff

on account of the costs of this suit with interest thereon at the rate of [illegible] per

annum from this date to date of realization.

Given under my hand and the seal of this Court, this 15th day of SEPTEMBER 2010

Entered in [illegible] of the judgment.

[illegible] Office Clerk

23.9.10 Sheristedar

Civil Judge (Sr. Divn.) I
Madhepura
28-9-2010

COSTS OF SUITS

Plaintiff ALLOWED	Amount Rs.	P.	Defendant DISALLOWED	Amount Rs.	P.
Stamp [illegible] Court Fee	250	00	Stamp for power	5	00
[illegible]	5	00	Do for petition or affidavit	20	00
Do for petition or affidavit	80	00	Cost for exhibition	—	—
4. Cost for exhibit			Pleader's fee	32	00
5. Pleader's fee	32	00	Subsistence :- Pleader Clerk's Fee	8	00
6. Subsistence :- Pleader Clerk's Fee	8	00	(a) for defendant or his agent	—	—
(a) for plaintiff or his agent	—	—	(b) for witnesses	—	
(b) for witnesses		—	Commissioner's fee	-	—
7. Commissioner's fee	—	—	Service of process	—	—
8. Service of process	5	00	Copying or typing charges	20	00
9. Copying or typing charge	20	00			
Total Rs.	400	00	Total Rs.	85	00

[illegible] 05=0
[illegible] 19x55= 10=45
[illegible] 07=50
Total - 22=95

मो० [illegible] 04.10.10.

Copying Clerk 4.10.10.

4-10-10

23 P.C

न्या0 सब जज प्रथम, मधेपुरा
टाइटिल सूट नं0 90/09
मे0 रजाक वगै0 बनाम बिहार सरकार

DECREE IN ORIGINAL SUIT

Order XX,Rules 6 and 7 ,Code of Civil Procedure.

District- MADHEPURA

In the Court ofCivil Judge (Sr. Division)-I, at Madhepura.

Title Suit No. 90 of 2009

1. Md. Razzaque S/o Late Maangan Mian
2. Md. Mozim S/oLate Wasir Mian.
3. Both r/o Mouza Paina Tola Chanda, P.S. Chousa, District- Madhepura

................Plaintiffs.

Versus

1. State ofBihar through Collector, Madhepura P.S. and District- Madhepura.

....Defendant.

Note- The addresses given above are the addresses for service filed by the parties under rules 19 and 22 of Order VII, or under rules 11 and 12 of Order VIII, of the first Schedule to the Code of Civil procedure, with the exception of.

Who did not appear or omitted to file their addresses.

Sd/- Shailesh Chauhan
239.2010
Office clerk

Claim for-

क- अदालत से यह तजवीज किया जाय तो करार दिया जाय कि मुदेयान को एराजी रायमुदावहा : वाभिल हकियत हासिल है।

तावीज सदर अदालत से यह भी करार दिया जाय कि हाल सर्वे खतियान बावत एराजी रायमुदावहा वासिदुल नं.1 बनाम अनावाद बिहार सरकार गलत है जिसकी कोई पायवंदी मुदेयान को नहीं है

ग- दीगरमदद जो अदालत से मुनासिव समझा जाय मुदैयान को दिलवा दिया जाय ।

सिड्डिल नं01

एराजी राय मुदावाहा वाके मौजा पैना प्रगना छई टोला चंदा थाना उदाकिशुनगंज हाल थाना चौसा जिला मधेपुरा थाना नं0 107

खाता पु0	खाता नं0	खेसरा पु0	खेसरा नं.	रकवा ए.डी.
656	1102	1577	103	1.23

This suit counting on this 15-09-2010 for final deposal before Ved Prakash Singh, Civil Judge (Senior Division),I, Madhepura day in the presence of.

Sri Javed Ekram, Advocate for the plaintiff

Sri A.Kalam,Advocate or the defendant.

It is ordered and decreed that संसहर्ष आज्ञप्ति किया जाता हैताि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व घोषित करतेहुए वाद पत्र के अनुसूची-1 में वर्णित वाद ग्रस्त भूमि के एक एकड़ 23 डिसमिल

24T.C

जमीन (सर जमीन पर मात्र 95 डि0) पर प्रतिवादी के नाम की प्रविष्टि को अवैध व गलत घोषित किया जाता है।

And that the sum of Rs. 400-00 (Four hundred) only

As paid by the defendant.

To the plaintiff.

An account of the costs of this suit with into upon at the rate of.

Annum from this date to date or realization.

Given under my hand and the seal of this Court this 15th day of September, 2010

Sd/- Illegible

Office Clerk

Sd/- Illegible

Sheristedar

Sd/- Illegible

Civil Judge (Sr. Div.)

Madhepura

28-9-2010

Allowed	Amount Rs. P.	Disallowed	Amount Rs. P.
1. Stamp for complainant court fee	250.00	Stamp for power	5.00
2. Do for power	5.00	Do for petition or affidavit	20.00
3. Do for petition or affidavit	30.00	Cost for exhibition	-
4. Cost for exhibit	-	Pleaders fee	32-00
5. Pleaders fee	32.00	Subsistence pleader clerks fee	8-00
(a) For plaintiff agent (b) (b) For witness			
6. Commissioners fee	5-00	Commissioners fee	-
8 Service of process	-	Services of Process	-
Copying or typing charges	20.00	Copying or typing charges	20-00
Total	400.00	Total	Rs. 85.00

Sd/- Illegible

25 TC

एनेक्सचर-2

प्रथम आदेश फलक

केश का प्रकार- भू बन्दोवस्ती अभिलेख सं0 2/2011-12
आश्रय स्थल सह पशु थेंड हेतू
अंचल चैसा अनु0 उदाकिसुनगंज जिला मधेपुरा ।

तारीख पदा0 का हस्ताक्षर अभ्युक्ति

1/26.7.2011- यह अभिलेख आश्रय स्थल सह पशु शेड हेतू आपदा प्रभावित क्षेत्रो में दर्शाया हेतु भूमि उपलब्ध करने हेतु प्रारभ्भ किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन को रैयती सरकारी भूमि का प्रस्ताव एवं नक्सा चेक स्लीप तीन तीन प्रतियो मे एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने हेत लिखे ।अभिलेख दिनांक 26.7.11 को उपस्थापित करें ।

लेखापित

ह0 अस्पष्ट

ह0 अस्पष्ट

अंचल अधिकारी, चौस

2/2.8.11- अभिलेख उपस्थापित राजस्व कर्मचारी द्वारा ग्राम पंचायत पैना मौजा पैना थाना नं. 107 खाता नं. 1102 खेसरा नं. 103 रकवा 1-23 अनावाद विहार सरकार जमीन का आश्रेय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अंचल अमीन द्वारा भी ट्रेस नक्सा तीन प्रतियॉ में समर्पित किया गया है।राजस्व कर्मचारी एव प्रभारी अ.नि. द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि प्रस्तावित जमीन विवाद रहित है तथा आश्रय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु वंदोवस्ती की जा सकती है मेरे द्वारा भी स्थल जॉच किया तथा प्रस्तावित जमीन सही पाया गया ।

अतः कर्मठ एवं प्र.अ.नि. के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा महगामा खाता नं. 1102 खेसरा नं. 103 रकवा .23 एक एकड़ तेइस डी. की वन्दोवस्ती ग्राम पंचायत पैना के नाम आश्रय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु वन्दोवस्ती की अनुशंसा की जाती है। प्रस्तावित जमीन का प्रस्ताव नक्सा खतियान की सच्ची प्रतिलिपि एवं चेक स्लीप की तीन तीन प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है।

अतः अभिलेख अग्रतर कार्यवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता को भेजी जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0 अस्पष्ट

अंचल अधिकारी चौसा

अंचल अधिकारी चौसा

Annexure-3

(26)

प्रपत्र आदेश फलक

केस का प्रकार :- ब बन्दोबस्ती अभिलेख-V / 2011-12
आश्रय स्थल सह पशु शेड हेतु
अंचल चौसा अनु० - उदाकिशुनगंज जिला- मधेपुरा

आदेश	पदा० का आदेश	अभ्युक्ति
1 28-7-11	यह अभिलेख आश्रय स्थल सह पशु शेड [illegible] प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन को स्थल, सरकारी भूमि का प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा तीन-तीन प्रतियों में एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने हेतु लिखें। अभिलेख दिनांक 26.09.11 को उपस्थापित करें। लेखापित अं०लि० अंचल अधिकारी चौसा	
2 4/8/11	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी हल्का ग्राम पंचायत पैना मौजा पैना खाता नं० 107 खे० नं० 1102 थाना नं० 103 रकबा 1-23 अनावाद बिहार सरकार जमीन का आश्रय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अंचल अमीन द्वारा भी नजरी नक्शा तीन प्रतियों में समर्पित किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अं० नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित जमीन विवादरहित है तथा आश्रय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु बन्दोबस्ती की जा सकती है। मैंने स्वयं भी स्थल जाँच किया तथा प्रस्तावित जमीन सही पाया गया। अतः रा० क० एवं प्र० अं०नि० के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा [illegible] खाता नं० 693 खेसरा नं० 1102 था० नं० 103 रकबा 1-23 (एक एकड़ तेईस डी०) की बन्दोबस्ती ग्राम पंचायत पैना के नाम आश्रय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु बन्दोबस्ती की अनुशंसा की जा सकती है। प्रस्तावित जमीन का प्रस्ताव नजरी नक्शा खतियान की छायाप्रति एवं चेक स्लीप की तीन-तीन प्रति अभिलेख [illegible] अतः अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि-सुधार उपसमाहर्ता को भेजें। लेखापित एवं [illegible] अंचल अधिकारी चौसा	

Annexure-3

(27)

07-09-11

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चौसा से पशु सेल्टर निर्माण हेतु प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तावित भूमि ग्रा०पं०- पैना, मौजा- पैना, थाना नं०- 107, खाता नं०-1102, खेसरा-103, रकवा - 1.23 एकड़ जो अनावाद बिहार सरकार है। अंचल अमीन, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ट्रेश नक्सा संलग्न है। राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ~~[illegible]~~ प्रस्ताव पशु सेल्टर निर्माण हेतु चेक लिस्ट एवं प्रतिवेदन संलग्न है। अंचल अधिकारी द्वारा स्वयं स्थलीय जाँच किया गया है तथा उक्त खाता, खेसरा एवं रकवा पर पशु सेल्टर निर्माण हेतु अनुशंसा किया है।

अतः उक्त अनुशंसा के आलोक में ग्राम पं०-पैना, मौजा- पैना, थाना नं०-107, खाता नं०-1102, खेसरा-103, रकवा - 1.23 एकड़ पर पशु सेल्टर निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।

अतएव अभिलेख अंचल अधिकारी, चौसा को वापस करें।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
उदाकिशुनगंज।

7/9/11
अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।

26 T.C

एनेक्सचर-3

प्रथम आदेश फलक

केश का प्रकार- भू वन्दोवस्ती अभिलेख सं0 2/2011-12
आश्रय स्थल सह पशु शेंड हेतू
अंचल चैसा अनु0 उदाकिसुनगंज जिला मधेपुरा ।

तारीख   पदा0 का हस्ताक्षर   अभ्युक्ति

1/26.7.2011- यह अभिलेख आश्रय स्थल सह पशु शेड हेतू आपदा प्रभावित क्षेत्रो में दर्शाया हेतु भूमि उपलब्ध करने हेतु प्रारम्भ किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन को रैयती सरकारी भूमि का प्रस्ताव एवं नक्सा चेक स्लीप तीन तीन प्रतियो मे एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने हेत लिखे ।अभिलेख दिनांक 26.7.11 को उपस्थापित करें ।

लेखापित

ह0 अस्पष्ट

ह0 अस्पष्ट

अंचल अधिकारी.चौस

2/2.8.11- अभिलेख उपस्थापित राजस्व कर्मचारी द्वारा ग्राम पंचायत पैना मौजा पैना थाना नं. 107 खाता नं. 1102 खेसरा नं. 103 रकवा 1-23 अनावाद विहार सरकार जमीन का आश्रेय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अंचल अमीन द्वारा भी ट्रेस नक्सा तीन प्रतियॉ में समर्पित किया गया है।राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अ.नि. द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि प्रस्तावित जमीन विवाद रहित है तथा आश्रय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु वंदोवस्ती की जा सकती है मेरे द्वारा भी स्थल जॅाच किया तथा प्रस्तावित जमीन सही पाया गया ।

अतः कर्मठ एवं प्र.अ.नि. के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा महगामा खाता नं. 1102 खेसरा नं. 103 रकवा .23 एक एकड़ तेइस डी. की वन्दोवस्ती ग्राम पंचायत पैना के नाम आश्रय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु वन्दोवस्ती की अनुशंसा की जाती है। प्रस्तावित जमीन का प्रस्ताव नक्सा खतियान की सच्ची प्रतिलिपि एवं चेक स्लीप की तीन तीन प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है।

अतः अभिलेख अग्रतर कार्यवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता को भेजी जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अंचल अधिकारी चौसा

ह0 अस्पष्ट

अंचल अधिकारी चौसा

(27)

<u>एनेक्सचर-3</u> 9·C

07.09.2011- अभिलेख उपस्थापित । अंचल अधिकारी चौसा से पशु सेल्टर निर्माण हेतु प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया । प्रस्तावित भूमि ग्राम पो. पैना, मौजा पैना, थाना नं. 107, खाता नं. 1102 खेसरा 103, रकव 1.23 एकड़ जो अनावाद बिहार सरकार है । अंचल अमीन, अंचल निरीक्षक एंव अंचल अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से देश नक्सा संलग्न है। राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्ताव पशु सेल्टर निर्माण हेतु चेक लिस्ट एवं खतियान संलग्न है। अंचल अधिकारी द्धारा स्वयं स्थलीय जॅाच किया गया है तथा उक्त खाता खेसरा एवं रकवा पर पशु सेल्टर निर्माण हेतु अनुशंसा किया है।

अतः उक्त अनुशंसा के आलोक में ग्राम पो. पैना, मौजा पैना, थाना नं. 107, खाता नं. 1102, खेसरा 103, रकवा 1.23 एकड़ पर पशु सेल्टर निर्माण की स्वीकृति की जाती है।

अतएवं अभिलेख अंचल अधिकारी, चौसा को वापस करें ।

ह0 अस्पष्ट

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

उदाकिसुनगंज

ह0 अस्पष्ट

7.9.2011

अनुमंडल पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज

Annexure-4 (28)

नामान्तरण(दाखिल-खारिज) के आवेदन पर तहसीलदार या अमीन के पतिवेदन का प्रपत्र

नामान्तरण(दाखिल खारिज) केस सं० सन् 2012-13

पैना थाना पैना थाना सं० 107

अंचल का नाम बिहट जिला मधेपुरा

लिखे विषय,दान,बटवारा (1) द्वारा होलडिंग का (2) अन्तरण

उत्तराधिकारी केवाला नम्बर / तारीख

दाखिल खारिज सं० - 90/2009

(2)पूर्ण या अंशतः एकद

चुकाया गया मूल्य रुपया

(3)यहाँ रैयत या महाजन लिखे खरीददार का पेशा (3)

खतियान संख्या एव जमाबन्दी संख्या	अभिधारी का नाम	प्लाट संख्या	रकवा	लगान और हैसियत	अभियुक्ति
	नामान्तरण(दाखिल-खारिज) के पहले रकवा				
1102	अनावाद बिहार सरकार	103	0.95		अं० अधिकारी [illegible] प्रस्ताव... प्रस्ताव [illegible] हेतु दिया गया जो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है [illegible] द्वारा प्रस्तावित भूमि का आदेश प्राप्त है [illegible] के प्रस्ताव [illegible] अनुमंडल कार्यालय [illegible] जा सकता है तदनुसार कार्रवाई किया जा सकता है
	नामान्तरण(दाखिल-खारिज) के बाद रकवा				
	विक्रेता........................				
—	—	—	—	—	
	नये जमाबंदी रैयतनामा				
1102	मो० मोजीम पे० मो० कमरी नदाफ वो मो० रज्जाक पे० मोगल नदाफ सा० - पैना टोला-चन्दा	103	0.95		

[signatures] 24/9/11

28T.C

एनेक्सचर-4 9.C

दाखिल खारिज के आवेदन पर तहसीलदार या अमीन के प्रतिवेदन का प्रपत्र

दाखिल खारिज केस नं0 ....सन 2012-13

ग्राम पैना थाना चौसा थाना नं. 107
राज्य का नाम- बिहार जिला मधेपुरा
लिखे विषय दान बटवारा द्धारा होल्डिंग का 2 अन्तरण
उतराधिकारी केवाला नम्बर/तारीख
टाईटल सूट संख्या 90/2009 एकद
चुकाया गया मूल्य रूप्या
यहाँ रैयत या महाजन लिखे खरीदार का पेशा

खतियान संख्या एवं जमावंदी संख्या	अभिधारी का नाम	प्लाट संख्या	रकवा	लगान और हैसियत	अभियुक्ति

नामान्तरण (दाखिल खारिज) के पहले रकवा

1102 अनाबाद बिहार सरकार 103 0.95

अंचल अधिकारी

महाशय,

प्रस्तावित भूमि का प्रस्ताव आश्रय स्थल हेतु दिया गया जो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है आवेदक को कोर्ट द्धारा प्रस्तावित भूमि का आदेश प्राप्त है।

अतः आश्रय स्थल के प्रस्ताव निरस्त हेतु अनुमंडल कार्यालय उदाकिसुनगंज को भेजा जा सकता है।

तदनुसार अग्रतर कारबाई किया जा सकता है।

ह0 अस्पष्ट

1102 मो0 मोजीम पे0 मो0 वसीर नदाफ 103 0.95
वो मो. रज्जाक पे0 मांगन ननदाफ
सा. पैना टोला चन्दा

महाशय,

अग्रसारित
ह0 अस्पष्ट
24.9.12

Annexure-5

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज
पत्रांक - 3924-4 सं० (भू०),

प्रेषक,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
उदाकिशुनगंज।

सेवा, मैं,

अंचल अधिकारी,
चौसा।

उदाकिशुनगंज, दिनांक - 5-11-12

विषय :- अभिलेख सं० 02/2011-12 आश्रयस्थल-सह-पशु शेड निर्माण संबंधी अभिलेख को निरस्त करने हेतु त्रुटिनिराकरण के लिए प्रेषण।

प्रसंग :- आपका पत्रांक - 340, दिनांक - 18-10-12

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त अभिलेख सं० - 02/2011-12 आश्रयस्थल-सह-पशु शेड निर्माण के आदेश फलक पर कारण सहित निरस्त करने की अनुशंसा अपेक्षित है। मूल अभिलेख वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त त्रुटिनिराकरण कर अभिलेख वापस करना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

[signature] 05.11.12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
उदाकिशुनगंज।

[signature] 20/11/12

29 TC

<u>एनेक्सचर-5</u> T.C

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज

पत्रांक 3924-4 रा0

प्रेषक,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
उदाकिशुनगंज

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
चौसा

उदाकिशुनगंज, दिनांक 5.11.12

विषय- अभिलेख सं0 02/2011-12 आश्रयस्थल सह पशु शेड निर्माण संबंधी अभिलेख को निरस्त करने हेतु त्रुटिनिराकरण के लिए प्रेषण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त अभिलेख सं0 02/2011-12 आश्रयस्थल सह पशु शेड निर्माण के आदेश फलक पर कारण सहित निरस्त करने की अनुशंसा अपेक्षित है। मूल अभिलेख वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त त्रुटिकरण कर अभिलेख वापस करना सुनिश्चित करें ।

अनुलग्नक- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0 अस्पष्ट
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
उदाकिशुनगंज

Annexure-6

(30)

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज

पत्रांक 168-2 /रा0

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,

चौसा।

उदाकिशुनगंज, दिनांक 17.1.2013

विषय :- आश्रयस्थल सह पशु शेड निर्माण संबंधी अभिलेख सं0-02/2011-12 को निरस्त करने हेतु प्राप्त अभिलेख का प्रेषण।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-401/रा0,दिनांक-10.12.12

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आश्रयस्थल सह पशु शेड निर्माण संबंधी अभिलेख सं0-02/2011-12 को निरस्त करने हेतु प्राप्त अभिलेख को न्यायालय से पारित आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने हेतु अभिलेख सं0-02/2011-12 को मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/1/13

अनुमंडल पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज।

Annexure-7

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA

COURT FEE

भारत INDIA

STAMP DUTY
00000
Rs. 0000005
बिहार JUDICIAL
30.4.2013
B74150 BIHAR
Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Five*
(31)
5406 1821685

Schedule XII - Form No.- 13

Authorization No. 2037

न्यायालय में: जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा

No.-

5335 / 660

APPLICATION FOR INFORMATION

Number and Date	Name and residence of applicant	Nature of the Information requard	Date on which the information is to he reads	Signature of officer receiving the application	Remarks
	मैं मो० हफीज, अधिवक्ता लिपिक व्यवहार न्यायालय मधेपुरा तारीख 4.5.13	मैं जानना चाहता हूँ कि दीवानी मोकदमा नं० 90/09 मो० रज्जाक बनाम बिहार सरकार, अवर न्यायाधीश, वरीय कोटि नं० I मधेपुरा के	न्यायालय के आदेश दिनांक 15.9.10 को हुआ है उसके खिलाफ बिहार सरकार कोई अपील [illegible] है या नहीं। जानकारी [illegible] कब दायर हुआ है तथा [illegible] में है।	दिनांक 15.09.10 को पारित दीवानी वाद 90/09 मो० रज्जाक बनाम बिहार सरकार [illegible] के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई अपील दायर नहीं किया गया है। [illegible]	

Received from   Information Delivered   Application No.-

of Date   6.5.13   of information which will be ready on

Dated   H.C.C.   Clerk in charge

अनु-२

Annexure-7 ग॰C

Schedule XII-Form No.13

न्यायालय में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मधेपुरा

APPLICATION FOR INFORMATION

Number and Date	Name and residence of applicant	Nature of the Information required	Date on which the information is to be reads	Signature of officer receiving the applications	Remarks.
	मैं मो. हफीज अधिवक्ता लिपिक व्यवहार न्यायालय मधेपुरा तारीख 4.5.13	मै जानना चाहता हूँ कि दीवान मोकदमा नं. 90/09 मो. रज्जाक वो. बनाम बिहार सरकार असैनिक न्यायधीश वरीय कोटि नं01 मधेपुरा के न्यायालय के आदेश दिनाक 15. 9.10 को हुआ है उसमे खिलाफ बिहार सरकार कोई अपील दायर किया है या नही अगर किया है तो उसका क्या नम्बर हुआ है तथा किस स्थिति में केस है।		महाशय, दिनाक 15.9.10 के बाद से दीवानी वाद संख्या 90/09 मो. रज्जाक वगैरह बनाम बिहार सरकार एवं असैनिक न्यायाधीश वरीय कोटि मधेपुरा के न्यायालय के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार द्वारा कोई अपील दायर नही किया गया है।	ह0 अस्पष्ट 6.5.13

Received from Information details.

Sd/- Illegible
6.5.13
H.C.C.

Annexure-2.

प्रपत्र आदेश फलक (25)

कैंप का प्रकार!- द बन्दोबस्ती अभिलेख-V / 2011-12
आश्रय स्थल सह पशु शेड हेतु
अंचल चौसा अनु० - उदाकिशुनगंज जिला- मधेपुरा

तारीख	पदा० का आदेश	अभ्युक्ति
1 28-7-11	यह अभिलेख आश्रय स्थल सह पशु शेड बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को [illegible] सरकारी भूमि का प्रस्ताव [illegible] तीन-तीन प्रतियों में एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने हेतु लिखें। अभिलेख दिनांक 26.10.11 को उपस्थापित करें। लेखापित अ०नि० अंचल अधिकारी चौसा	
2 [illegible]/8/11	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी हल्का ग्राम पंचायत पैना मौजा पैना खाता नं० 107 ख०नं० 1102 ख०नं० 103 रकबा 1-23 अनावाद बिहार सरकार जमीन का आश्रय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अंचल अमीन द्वारा भी इस बाबत तीन प्रतियों में समर्पित किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अं०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित जमीन विवादरहित है तथा आश्रय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु बन्दोबस्ती की जा सकती है। मैं स्वयं भी स्थल जांच किया तथा प्रस्तावित जमीन सही पाया गया। अतः रा० क० एवं प्र० अं०नि० के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा [illegible] खाता नं० 693 खेसरा नं० 1102 ख० 103 रकबा 1-23 (एक एकड़ तेईस डी०) की बन्दोबस्ती ग्राम पंचायत पैना के नाम आश्रय स्थल सह पशु शेड निर्माण हेतु बन्दोबस्ती की अनुशंसा की जाती है। प्रस्तावित जमीन का प्रस्ताव नजरी नक्शा खतियान की छायाप्रति एवं चेक स्लिप की तीन-तीन प्रति अभिलेख के [illegible] अतः अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु श्रीमान भूमि सुधार उप समाहर्ता को भेजें। लेखापित एवं मुद्रित अंचल अधिकारी चौसा	